


दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
10.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व उसके प्रतिनिधि उपस्थित है। अपीलार्थी ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 39/2024 व उनवानी श्रीमती प्रेमलता देवी व अन्य बनाम गोवर्धन नागवान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.08.2024 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।</p> <p>अपीलार्थी का कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच ने सिविल रिट पीटीशन नम्बर 11941/2021 उनवानी माया देवी व अन्य बनाम विश्वेश्वर दयाल व अन्य में दिनांक 01.05.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुसार यह अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार में है।</p> <p>अपीलार्थी व उसके प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम-2007 की धारा 16 के अनुसार " अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता आदेश की तिथि से 60 दिवसों के अन्दर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। "</p> <p>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच जयपुर द्वारा सिविल रिट पीटीशन नम्बर 11941/2021 व उनवानी मायादेवी बनाम विश्वेश्वर दयाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2023 की प्रति बिन्दू संख्या 24 के अनुसार एडीशनल सोलीसीटर जनरल भारत सरकार को अधिनियम में परिवर्तन कराने के लिए प्रेषित की गई है।</p> <p>यह अपील पुत्र व पुत्रवधु द्वारा पेश की गई है। जब तक अधिनियम में इस बाबत आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता या सक्षम मान्य न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिये जाते तब तक पुत्र व पुत्रवधु द्वारा अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु ग्रहण योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो।</p>	


 (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर